आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

(1955 का अधिनियम संख्यांक 10)[1]

कतिपय वस्तुओं उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण के लिए, जनसाधारण के हित में उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

(1 अप्रेल 1955)

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार

(1) यह अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार [2]सम्पूर्ण भारत पर है।

2. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

[3](i क) 'कलेक्टर' के अन्तर्गत अपर कलेक्टर और ऐसा अन्य अधिकारी भी है, जो उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो और जो इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाए ;

(ख) **'खाद्य फसलों'** के अन्तर्गत गन्ने की फसलें भी है ;

(ग) **'अधिसूचित आदेश'** से शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश अभिप्रेत है ;

[4](गग) 'आदेश' के अंतर्गत तद्धीन जारी किया गया कोई निदेश भी है ;

[5](घ) **'राज्य सरकार'** से किसी संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;

[4](ङ) **'चीनी'** से अभिप्रेत है

(1) किसी प्रकार की चीनी जिसमें नब्बे प्रतिशत से अधिक सूक्रोज अन्तर्विष्ट हो, और उसके अन्तर्गत मिश्री भी है;

---

1. इस अधिनियम का विस्तार 1962 के रेग्यूलेशन सं. 12 के धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीप पर तथा 1963 रेग्यूलेशन सं. 6 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर किया गया है।
2. 1968 के अधिनियम सं. 25 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-8-1968 से) जम्मू काश्मीर राज्य के सिवाय शब्दों का लोप किया गया।
3. 1976 के अधिनियम सं. 92 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1967 के अधिनियम सं. 36 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. विधि अनुकूलन (सं. 3) आदेश, 1956 द्वारा पूर्ववर्ती खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) खांडसारी चीनी या बूरा चीनी या पीसी हुई चीनी अथवा रवे या चूर्ण के रूप में कोई चीनी; अथवा

(3) वैक्यूम पैन चीनी कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी या उसमें उत्पादित कच्ची चीनी।

[1]2(क) आवश्यक वस्तुओं की घोषणा, आदि

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "आवश्यक वस्तु" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु अभिप्रेत है।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है और उन कारणों से जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे कि वह -

(क) उक्त अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ सके;

(ख) उक्त अनुसूची से किसी वस्तु को हटा सके।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी किसी अधिसूचना द्वारा यह भी निदेश दिया जा सकेगा कि उक्त अनुसूची में ऐसी वस्तु के सामने यह घोषणा करते हुए प्रविष्टि की जाएगी कि ऐसी वस्तु छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आवश्यक वस्तु समझी जाएगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार लोकहित में और उन कारणों से जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि का उक्त छह मास की अवधि से आगे विस्तार कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, किसी वस्तु के संबंध में, जिसके लिए संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 में प्रविष्टि 33 के आधार पर विधि बनाने की शक्ति है, उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।

(5) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

3. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, आदि को नियंत्रण करने की शक्तियां

(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उसका साम्यिक वितरण और उचित कीमतों पर उसकी उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए [2](अथवा भारत की रक्षा के लिए या सैनिक संक्रियाओं के दक्ष

---

1. अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा धारा 2 का उपखण्ड (क) विलोपित तथा उसके स्थान पर धारा - 2क अन्त:स्थापित। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.12.2006 को पृष्ठ - 1-3 पर प्रकाशित।
2. 1967 के अधिनियम सं. 36 की धारा 3 की द्वारा अन्त:स्थापित।

संचालन के लिए किसी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा करना) आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या प्रतिषेध के लिए उपबन्ध कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तद्धीन किए गए आदेश द्वारा निम्नलिखित का उपबन्ध किया जा सकेगा

(क) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यथा विनियमन ;

(ख) किसी बंजर या कृष्य भूमि को, चाहे वह किसी भवन से अनुलग्न हो या न हो उस पर सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों को उगाने के लिए खेती के अधीन लाना और सामान्यतः फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों की खेती अन्यथा बनाए रखना या बढ़ाना ;

(ग) ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा ;

(घ) किसी आवश्यक वस्तु के भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, अर्जन, प्रयोग या खपत का अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यथा विनियमन ;

(ङ.) सामान्यतः विक्रय के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोक रखने का प्रतिषेध ;

[1](च) किसी व्यक्ति से, जो किसी आवश्यक वस्तु को स्टाक में रखता है या उसके उत्पादन में या उसके क्रय या विक्रय के कारोबार में लगा हुआ है, यह अपेक्षा करना कि वह -

(क) उस सम्पूर्ण मात्रा या उसके विनिर्दिष्ट भाग का, जिसे वह स्टाक में रखता है या जिसका उसने उत्पादन किया है या जिसे उसने प्राप्त किया है, अथवा

(ख) किसी ऐसी वस्तु की दशा में, जिसका वह सम्भवतः उत्पादन करेगा या जिसे वह सम्भवतः प्राप्त करेगा, उसके द्वारा उत्पादन या प्राप्त करने पर उस संपूर्ण वस्तु या उसके विनिर्दिष्ट भाग का,

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम को या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसी परिस्थितियों में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, विक्रय करे।

---

1. 1976 के अधिनियम सं. 92 की धारा 3 द्वारा पुनःस्थापित।

स्पष्टीकरण :-

1. खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के सम्बन्ध में इस खण्ड के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा, संबंधित क्षेत्र में ऐसे खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के प्राक्कलित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा विक्रय की जाने वाला मात्रा नियत की जा सकेगी और श्रेणी के आधार पर ऐसे मात्रा उत्पादकों द्वारा धृत या उनकी जोत के कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भी नियत की जा सकेगी या उनके नियतन के लिए उपबंध किया जा सकेगा।

2. इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, 'उत्पादन' के अन्तर्गत, उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित, खाद्य तेलों और चीनी का विनिर्माण भी है ;

(छ) खाद्य पदार्थों [1] से सम्बद्ध ऐसे वर्ग के किन्हीं वाणिज्यिक या वित्तीय संव्यवहारों का विनियमन या प्रतिषेध जो कि आदेश देने वाले प्राधिकारी की राय में लोकहित के लिए हानिकर है या यदि अविनियमित रहें तो हानिकर हो सकते है ;

(ज) पूर्वोक्त बातों में से किसी का विनियमन या प्रतिषेध करने की दृष्टि से किसी जानकारी या आंकड़ों का संग्रहण,

(झ) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय या वितरण अथवा उसमें व्यापार और वाणिज्य में लगे व्यक्तियों से यह अपेक्षा करना कि वे अपने कारोबार से सम्बद्ध ऐसी पुस्तकें, लेखे और अभिलेख रखें और निरीक्षण के लिए पेश करें तथा उसके सम्बन्ध में ऐसी जानकारी दे जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

[2][(झझ) अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों या दस्तावेजों का दिया जाना या जारी किया जाना, उनके लिए फीसें लिया जाना, ऐसी किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्य दस्तावेज की शर्तों के सम्यक् पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि का, यदि कोई है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, जमा किया जाना, ऐसी जमा की गई राशि या उसके किसी भाग का किन्हीं ऐसी शर्तों के उल्लंघन पर समपहरण तथा ऐसे समपहरण का ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, न्यायनिर्णयन ;]

[[3](ञ) कोई आनुषंगिक और अनुपूरक विषय, जिनके अन्तर्गत विशिष्टतया परिसरों, विमानों, गाड़ियों अथवा अन्य प्रवहणों में प्रवेश तथा उनकी एवं पशुओं की तलाशी और परीक्षा एवं ऐसी प्रवेश, तलाशी या परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्य भी है

---

1. अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा 'या सूती वस्त्रों' शब्द का लोप किया गया। अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.12.2006 को पृष्ठ - 1-3 पर प्रकाशित।
2. 1961 के अधिनियम सं. 17 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1971 के अधिनियम सं. 66 की धारा 2 खण्ड (ञ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(1) किन्हीं ऐसी चीजों का, जिनकी बाबत ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया ही जाने वाला है और किन्हीं ऐसे पैकेजों, आवेष्टकों या पात्रों को, जिनमें ऐसी चीजें पाई जाएं, अभिग्रहण ;

(2) ऐसी चीजों को ले जाने में प्रयुक्त विमानों, जलयानों, गाड़ियों अथवा अन्य प्रवहणों या पशुओं का उस दशा में अभिग्रहण, जब ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा विमान, जलयान, गाड़ी या अन्य प्रवहण या पशु इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समपहरणीय है ;

[1](3) किन्हीं ऐसी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों का अभिग्रहण, जो ऐसे व्यक्ति की राय में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हों तथा वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा-पुस्तकों या दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया है, उस अधिकारी की उपस्थिति में, जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लेखा-पुस्तकें या दस्तावेजें है उनकी प्रतियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने का हकदार होगा।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु का विक्रय उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश के अनुपालन में करता है वहाँ उसके लिए ऐसी कीमत दी जाएगी जो इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित है,

(क) जहाँ कीमत, इस धारा के अधीन नियत नियंत्रित कीमत से, यदि कोई हो, संगत रह कर करार पाई जा सकती है वहाँ यह करार पाई गई कीमत ;

(ख) जहाँ ऐसा कोई करार नहीं हो सकता वहाँ नियंत्रित कीमत के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश से परिकलित कीमत ;

(ग) जहाँ न तो खण्ड (क) और न खण्ड (ख) ही लागू होता है वहाँ उस परिक्षेत्र में विक्रय की तारीख को अभिभावी बाजार दर पर परिकलित कीमत।

[[2](3क) (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी परिक्षेत्र में किन्हीं खाद्य पदार्थों में कीमतों के चढ़ाव को नियंत्रित करने या उनमें जमाखोरी को निवारित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी किय उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वह कीमत, जिस पर कि उस परिक्षेत्र में खाद्य पदार्थ का विक्रय उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किए गए आदेश के अनुपालन में किया जाएगा, इस उपधारा के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

---

1. 1976 के अधिनियम सं. 92 की धारा 3 द्वारा खण्ड (आ) के उपखण्ड (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1957 के अधिनियम सं. 13 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) इस उपधारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना तीन मास से अधिक की ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।

(3) जहाँ इस उपधारा के अधीन अधिसूचना के जारी होने के पश्चात कोई व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थ का, और ऐसे विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में, विक्रय उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश के अनुपालन में करता है वहाँ उसके लिए विक्रेता को निम्नलिखित कीमत दी जाएगी

(क) जहाँ कीमत, इस धारा के अधीन नियत खाद्य पदार्थ की नियंत्रित कीमत से, यदि कोई हो, संगत रह कर करार पाई जा सकती है वहाँ वह करार पाई गई कीमत ;

(ख) जहाँ ऐसा कोई करार नहीं हो सकता वहाँ नियंत्रित कीमत के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश से परिकलित कीमत ;

(ग) जहाँ न तो खण्ड (क) और न खण्ड (ख) ही लागू होता है वहाँ अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्वगामी तीन मास की कालावधि के दौरान उस परिक्षेत्र में अभिभावी औसत बाजार दर के प्रति निर्देश से परिकलित कीमत।

(4) खण्ड (3) के उपखण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए उस परिक्षेत्र में अभिभावी औसत बाजार दर का अवधारण, इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस परिक्षेत्र की या पड़ोस के परिक्षेत्र की बाबत अभिभावी ऐसे बाजार दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा जिनके लिए प्रकाशित आंकड़े उपलभ्य है, और ऐसे अवधारित औसत बाजार दर अन्तिम होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

[1]**(3ख)** जहाँ उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई है कि वह केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम को, किसी ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों का, विक्रय करे जिनके संबंध में उपधारा (3क) के अधीन या तो कोई अधिसूचना निकाली ही नहीं गई है या ऐसी अधिसूचना निकाली गई है किन्तु प्रवृत्त नहीं है, वहाँ संबंधित व्यक्ति को, उपधारा (3) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , उतनी रकम का संदाय, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, ऐसे खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की वसूली कीमत के बराबर हो, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए किया जाएगा

1. 1976 के अधिनियम सं. 92 की धारा 3 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा (3ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(क) यदि ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के लिए कोई नियंत्रित कीमत इस धारा के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन नियत की गई है तो उस कीमत का ;

(ख) फसल की साधारण सम्भावनाओं का ;

(ग) उपभोक्ताओं को विशेष रूप से उपभोक्ताओं के दुर्बल वर्गों को, ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्न, खाद्य तिलहन या खाद्य तेल युक्ति युक्त कीमत पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता का ; और

(घ) यदि संबंधित श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की कीमत के संबंध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें, यदि कोई हैं, तो उन सिफारिशों का।

[1]**(3ग)** जहाँ उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश द्वारा किसी उत्पादक से यह अपेक्षा है कि वह किसी प्रकार की चीनी (चाहे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को) चाहे उपखण्ड 3 (क) के अंतर्गत ऐसी अधिसूचना निकाली गई हो अथवा नहीं, वहाँ, उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके लिए उत्पादक को केवल ऐसी कीमत दी जाएगी, जैसी केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा अवधारित करे :

(क) उचित एवं लाभप्रद कीमत, यदि कोई हो, जो इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने के लिए नियत की गई हो;

(ख) चीनी की विनिर्माण-लागत;

(ग) वह शुल्क या कर, यदि कोई हो, जो उस पर संदत्त किया गया है या संदेय हो; और

(घ) चीनी के कारोबार में लगाई गई पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम।

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न क्षेत्रों अथवा कारखानों अथवा शक्कर की किस्मों के लिए, समय-समय पर विभिन्न कीमतें अवधारित कर सकेगी।

परंतु आगे यह भी कि, जहाँ चीनी मौसम 2008-2009 तक उत्पादित चीनी के लिए लेवी-चीनी की अनन्तिम कीमत का निर्धारण किया गया हो, कीमत का अंतिम निर्धारण अक्टूबर 2009 के पहले दिन के ठीक पूर्व मौजूद इस उपखण्ड के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

---

1. आवश्यक वस्तु (अमेंडमेंट एण्ड वेलीडेशन) एक्ट 2009 द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2009 से प्रभावशील। एक्ट 2009 केन्द्रीय राजपत्र में दिनांक 22 दिसंबर 2009 को पृष्ठ 1 से 4 पर प्रकाशित।

स्पष्टीकरण (1)[1] : इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए :

(क) **'उचित और लाभप्रद कीमत'** से इस खण्ड के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित गन्ने की कीमत अभिप्रेत है;

(ख) **'चीनी विनिर्माण लागत'** से अभिप्रेत है, उत्पादक द्वारा धारित किए जाने की सीमा तक खरीदी केन्द्र से कारखाने के द्वार तक गन्ने के परिवहन करने में आये शुद्ध व्यय को शामिल करते हुए, गन्ने को शक्कर में परिवर्तित करने में आया शुद्ध व्यय;

(ग) **'उत्पादक'** से चीनी के विनिर्माण का कारबार करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) **'कारोबार में लगाई पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम'** से अभिप्रेत है, शुद्ध सुनिश्चित आस्तियों पर प्रत्यगम एवं शक्कर विनिर्माण के संबंध में उत्पादक द्वारा लगाई गई कार्यशील पूंजी, जिसमें गन्ने के उद्ग्रहण के लिए इस खण्ड द्वारा अवधारित उचित और लाभप्रद कीमत शामिल है।

[1](**स्पष्टीकरण 2** - शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के खंड (क)में निर्दिष्ट ''उचित और लाभकारी कीमत'', खंड (ख) में निर्दिष्ट ''चीनी की विनिर्माण लागत'' और खंड (घ) में निर्दिष्ट ''लगाई गई पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम'' में किसी राज्य सरकार के किसी आदेश या अधिनियमित के अधीन संदत्त या संदेय कोई कीमत तथा उत्पादक और गन्ना उगाने वाले या गन्ना उगाने वालों की किसी सहकारी समिति के बीच तय की गई कोई कीमत, सम्मिलित नहीं है।)

नोट 2 : खण्ड 3 (ग) का हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं होने से सम्पादक द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। कृपया मूल अंग्रेजी आलेख को ही विधिसंगत माने। - सम्पादक

[2]((**3घ**) केन्द्रीय सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि कोई उत्पादक, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता किसी प्रकार की चीनी का विक्रय नहीं करेगा या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा या परिदान नहीं करेगा या कारखाने के बन्धित गोदाम से किसी प्रकार की चीनी को नहीं हटायेगा, जिसमें उसे उत्पादित किया जाता है, चाहे ऐसा गोदाम कारखाने के परिसर के भीतर या बाहर स्थित है या आयातकर्ता अथवा निर्यातकर्ता के, यथास्थिति, भाण्डागार से नहीं हटायेगा, सिवाय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के अधीन और के अनुसार के;

परन्तु यह उपधारा किसी उत्पादक या आयाकर्ता द्वारा किसी अनुसूचित बैंक के पक्ष में, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ङ) में परिभाषित है या बैंक कार कम्पनी (उपक्रमों) का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970

---

1. अधिनियम संख्या 2010 का 35 के खण्ड 2 द्वारा स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यायित किया गया तथा स्पष्टीकरण 2 जोड़ा गया। दिनांक 01.10.2009 से लागू।
2. 2003 के अधिनियम सं. 37 की धारा 2 द्वारा (14.6.1999 से) अन्तःस्थापित।

(1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित किसी तत्समान नये बैंक के पक्ष में ऐसी चीनी के गिरवी रखने को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए यह कि कोई ऐसा बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देश के अधीन और के अनुसार सिवाय उसको गिरवी रखी गई चीनी का विक्रय नहीं करेगा।

(3ङ) केन्द्रीय सरकार, समय-समय से, असाधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी उत्पादक या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या मान्यता प्राप्त व्यापारी या उत्पादकों के किसी वर्ग या मान्यता प्राप्त व्यापारियों को निर्देश में विनिर्दिष्ट ढंग से चीनी के किसी प्रकार के उत्पादन, स्टाक के रखरखाव, भण्डारण, विक्रय, श्रेणीकरण, पैक करने, चिन्हीकरण, तौल, व्ययन, परिदान और वितरण से सम्बन्धित कार्यवाही करने का निर्देश दे सकेगी।

स्पष्टीकरण – उपधारा (3 घ) और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, -

(क) ''उत्पादक'' से चीनी के विनिर्माण का कारबार करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) ''मान्यता प्राप्त व्यापारी'' से चीनी के क्रय, विक्रय या वितरण का कारबार करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ग) ''चीनी'' में रोपण, सफेद चीनी, कच्ची चीनी या परिष्कृत चीनी शामिल है, चाहे देश में उत्पादित या आयातित हो।)

(4) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन और प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को (जो इसके पश्चात इसमें प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में निर्दिष्ट है) उस वस्तु के उत्पादन और प्रदाय में संलग्न किसी ऐसे उपक्रम या उसके किसी भाग की बाबत, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, नियंत्रण के ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जैसे उसमें उपबंधित किए जाएं और जब तक ऐसे आदेश किसी उपक्रम या उसके भाग की बाबत प्रवृत्त है,

(क) जो भी आदेश प्राधिकृत नियंत्रक को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं उनके अनुसार वह अपने कृत्यों का प्रयोग करेगा किन्तु इस प्रकार कि उसे उपक्रम के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों के कृत्यों का अवधारण करने वाली किसी अधिनियमिति या किसी लिखत के उपबन्धों से असंगत कोई निदेश वहां तक के सिवाय, जहाँ तक कि आदेश द्वारा विनिर्दिष्टतया उपबन्धित हो, देने की शक्ति नहीं होगी ; और

(ख) आदेश के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा जो भी आदेश दिए जाएं उनके अनुसार उपक्रम या उसके भाग को चलाया जाएगा और उस उपक्रम या उस भाग के सम्बन्ध में प्रबन्ध के किन्हीं कृत्यों से सम्बद्ध कोई भी व्यक्ति ऐसे सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(5) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश :-

(क) सामान्य प्रकार के या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाले आदेश की दशा में, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ; और

(ख) किसी विनिर्दिष्ट व्यष्टि को निर्दिष्ट आदेश की दशा में, ऐसे व्यष्टि पर

(1) उस व्यष्टि को देकर या देने के लिए प्रस्तुत करके तामील किया जाएगा, या

(2) यदि वह इस प्रकार दिया या देने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो उसे उन परिसरों के जिनमें वह व्यष्टि रहता है बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगाकर तामील किया जाएगा और उसकी एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पड़ोस में रहने वाले दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित की जाएगी।

(6) केन्द्रीय सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया हर एक आदेश, किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

4. राज्य सरकारों पर कर्त्तव्यों का अधिरोपण आदि

धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त कर सकेगा और उन पर कर्त्तव्य अधिरोपित कर सकेगा तथा उसमें ऐसी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग या ऐसे किन्हीं कर्त्तव्यों के निर्वहन के बारे में किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों के लिए निदेश भी हो सकेंगे।

5. शक्तियों का प्रत्यायोजन

केन्द्रीय सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि [1](धारा 3 के अधीन आदेश करने या अधिसूचना निकालने की शक्ति) ऐसे विषयों के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन यदि कोई हो, जो उस निदेश के विनिर्दिष्ट की जाये, निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी -

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ; अथवा

(ख) ऐसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जो निदेश में विनिर्दिष्ट हो।

1. 1971 के अधिनियम सं. 66 की धारा 3 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6. अन्य अधिनियमितियों से असंगत आदेशों का प्रभाव

धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव रखेगा।

[1]6.(क) खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों का अधिहरण

[2](1) जहाँ कोई [3](आवश्यक वस्तु) उसके सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में [3](अभिगृहीत की जाती है) [4](वहाँ ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अयुक्तियुक्त विलंब के बिना, उस जिले या प्रेशिडेंसी नगर के, जिसमें ऐसी [3](आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है), कलेक्टर को की जाएगी और चाहे ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए अभियोजन संस्थित किया जाता है या नहीं, [4](यदि कलेक्टर ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह इस प्रकार अभिगृहीत आवश्यक वस्तु की अपने समक्ष निरीक्षण के लिए पेश किए जाने का निदेश दे सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि) आदेश का उल्लंघन हुआ है [5]तो वह

(क) ऐसे अभिगृहीत की गई आवश्यक वस्तु के ;

(ख) जिस पैकेज, आवेष्टक या पात्र में ऐसी आवश्यक वस्तु पाई जाए उसके ; और

(ग) ऐसी आवश्यक वस्तु को ले जाने में प्रयुक्त किसी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण के, अधिहरण का आदेश कर सकेगा :

परन्तु इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन की जा सकने वाल किसी कार्यवाही पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना कोई खाद्यान्न, खाद्य तिलहन जो उनके सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में किसी उत्पादक से अभिगृहीत किए गए हों, यदि अभिगृहीत खाद्यान्न या खाद्य तिलहन उसके द्वारा उत्पादित किए गए हों, इस धारा के अधीन अधिहृत नहीं किए जाएंगे :

[6](**परन्तु** यह और कि भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी

1. 1966 के अधिनियम सं. 25 की धारा 3 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. 1976 के अधिनियम सं. 92 की धारा 3 द्वारा धारा 6क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:स्थापित किया गया।
3. 1967 के अधिनियम सं. 36 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1976 के अधिनियम सं. 92 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1974 के अधिनियम सं. 30 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1976 के अधिनियम सं. 92 की धारा 4 द्वारा परन्तुक जोडा गया।

पशु, गाड़ी, यान या अन्य प्रवहण की दशा में ऐसे पशु, गाड़ी, यान या अन्य प्रवहण के स्वामी को, उसका अधिहरण किए जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु गाड़ी यान या अन्य प्रवहण द्वारा ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की तारीख को उसकी बाजार कीमत से अधिक न हो, संदाय करने का विकल्प दिया जाएगा।)

[1](2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके निरीक्षण पर कलेक्टर की यह राय है कि आवश्यक वस्तु शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या लोकहित में ऐसा करना अन्यथा समीचीन है वहाँ वह

(1) उसका विक्रय उस नियंत्रित कीमत पर, यदि कोई हो, किए जाने का आदेश दे सकेगा जो ऐसी आवश्यक वस्तु के लिए इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियत की गई हो ; या

(2) जहाँ कोई ऐसी कीमत नियत नहीं की गई है वहाँ लोक नीलाम द्वारा उसका विक्रय किए जाने का आदेश दे सकेगा ;

परन्तु कलेक्टर, खाद्यान्नों की दशा में, उनके साम्यिक वितरण और उनकी उचित कीमत पर उपलभ्यता के लिए उनका विक्रय उचित दर की दुकानों के माध्यम से जनता को उस कीमत पर किए जाने का आदेश दे सकेगा जो, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे खाद्यान्नों के फुटकर विक्रय के लिए नियत की गई हो।

(3) जहाँ किसी आवश्यक वस्तु का विक्रय पूर्वोक्त रीति से किया जाता है वहाँ उसके विक्रय आगम, किसी विक्रय या नीलाम के व्यय या उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक व्यय की कटौती करने के पश्चात्,

(क) जहाँ अधिहरण का कोई आदेश कलेक्टर द्वारा अन्तिम रूप से पारित नहीं किया जाता है,

(ख) जहाँ धारा 6 ग की उपधारा (1) के अधीन अपील में पारित किसी आदेश में ऐसी अपेक्षा की गई है ; या

(ग) जहाँ ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अधिहरण का आदेश दिया गया है, संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है,

वहाँ उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत्त किए जाएंगे।

---

1. 1976 के अधिनियम सं. 92 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

6. (ख) खाद्यान्नों आदि के अधिहरण से पूर्व हेतु दर्शित करने की सूचना का दिया जाना

[1](1) [2](किसी [3](आवश्यक वस्तु पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण) का अधिहरण करने वाला कोई आदेश धारा 6 क के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस [3]([4](आवश्यक वस्तु पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण) के स्वामी को या उस व्यक्ति को, [5](जिससे वह अभिगृहीत की जाती है) :-

(क) उन आधारों की, जिन पर उस [3]([4](आवश्यक वस्तु) पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण) को अधिहृत करने का विचार है, उसे जानकारी देने वाली एक लिखित सूचना नहीं दे दी जाती ;

(ख) अधिहरण के आधारों के विरुद्ध इतने उचित समय के भीतर जितना सूचना में विनिर्दिष्ट हो, लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दे दिया जाता ; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता।

[6](2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 6 क के अधीन किसी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण को अधिग्रहण करने वाले आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जब उस पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण का स्वामी कलेक्टर को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि आवश्यक वस्तु को ले जाने में उसका प्रयोग उस पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण के स्वामी या अभिकर्ता, यदि कोई हो, और भारसाधक व्यक्ति की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और उनमें से प्रत्येक ने ऐसे प्रयोग के विरुद्ध सभी उचित और आवश्यक पूर्व सावधानियां बरती थीं।

[7](3) यदि ऐसी सूचना देने में उस खण्ड के उपबन्धों का पर्याप्त रूप से पालन कर दिया गया है तो किसी आवश्यक वस्तु, पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण का अधिहरण करने वाला कोई आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन दी गई सूचना में कोई त्रुटि या अनियमितता है।

---

1. 1974 के अधिनियम सं. 30 की धारा 5 द्वारा 6 ख को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।
2. 1967 के अधिनियम सं 36 की धारा 5 द्वारा 'किन्हीं खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेल' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1974 के अधिनियम सं. 30 की धारा 5 द्वारा 'आवश्यक वस्तु' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1967 के अधिनियम सं. 36 की धारा 5 द्वारा 'वस्तु' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1967 के अधिनियम सं. 36 की धारा 5 द्वारा 'वे अभिगृहीत की जाती है' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1974 के अधिनियम सं 30 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
7. 1976 के अधिनियम सं. 92 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

6.(ग) अपील

(1) धारा 6 क के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की अपने को संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर किसी ऐसे न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो और वह न्यायिक प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपान्तरित या बातिल करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे।

(2) जहाँ धारा तक 6 क के अधीन हुआ कोई आदेश ऐसे न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उपान्तरित या बातिल किया जाता है या जहाँ किसी ऐसे आदेश के, जिसकी बाबत अधिहरण का आदेश धारा 6 क के अधीन किया गया है, उल्लंघन के लिए संस्थित अभियोजन में, सम्बन्धित व्यक्लि दोषमुक्त कर दिया जाता है तथा दोनों में से किसी भी दशा में किसी कारण से यह सम्भव नहीं है कि [1](अभिगृहीत आवश्यक बस्तु लौटा दी जाए) [2](ऐसे व्यक्ति को धारा 6 क की उपधारा (3) द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, उनके लिए कीमत [1](उस आवश्यक वस्तु)के अभिग्रहण के दिन से परिकलित ब्याज सहित इस प्रकार संदत्त की जाएंगी) [1](मानो) सरकार को उस [1](आवश्यक वस्तु)का विक्रय किया गया हो [1](और ऐसी कीमत निम्नलिखित रूप से अवधारित की जाएगी)

(1) खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की दशा में धारा 3 की उपधारा (3ख) के उपबन्धों के अनुसार ;

(2) चीनी की दशा में, धारा 3 की उपधारा (3ग) के उपबन्धों के अनुसार, और

(3) किसी अन्य आवश्यक वस्तु की दशा में धारा 3 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार।

6.(घ) अधिहरण के अधिनिर्णय का अन्य दण्डों में बाधा न करना

कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिहरण का अधिनिर्णय किसी ऐसे दण्ड के दिए जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका कि उस द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भागी है।

[3]6. (ङ) कतिपय मामलों में अधिकारिता का वर्जन

जब कभी कोई आवश्यक वस्तु उसके संबंध में धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अभिगृहीत की जाती है या धारा 6क के अधीन अधिहरण के लम्बित रहने के दौरान ऐसा कोई पैकेज, आवेष्टक या पात्र, जिसमें आवश्यक वस्तु पाई जाती है, या ऐसा कोई पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण जिसे ऐसी आवश्यक वस्तु को ले जाने में प्रयुक्त किया गया है, अभिगृहीत किया जाता है, तब, यथास्थिति, कलक्टर को या धारा 6

1. 1967 के अधिनियम सं. 36 की धारा 6 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1976 के अधिनियम सं. 92 की धारा 6 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1986 के अधिनियम सं. 42 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

ग के अधीन नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को ऐसी आवश्यक वस्तु, पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण के कब्जे, परिदान, व्ययन, निर्मोचन या वितरण के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण प्राधिकारी को ऐसी अधिकारिता नहीं होगी।

7. शास्तियाँ

[1](1) यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा,

(क) तो वह

(1) उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ज) या खण्ड (झ) के प्रति निर्देश से किए गए आदेश की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, तथा

(2) किसी अन्य आदेश की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास के कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा :

(ख) तो ऐसी सम्पत्ति जिसकी बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जाएगी :

(ग) तो कोई पैकेज, आवेष्टक या पात्र जिसमें सम्पत्ति पाई गई हो और कोई पशु,गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहण जिसे सम्पत्ति को ले जाने में प्रयुक्त किया गया हो, न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिए जाएँगे।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन निदेश दिया गया हो उस निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

(2)(क) यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (2) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया कोई व्यक्ति उसी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः सिद्धदोष ठहराया जाएगा तो, वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

---

1. 1974 के अधिनियम सं. 30 की धारा 6 द्वारा पूर्ववर्ती उपधाराओं के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा छह मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

(2)(ख) उपधारा (1), (2) और (2क) के प्रयोजनों के लिए यह बात कि उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (2) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध से जनसाधारण या किसी व्यक्ति को कोई खास हानि नहीं हुई है, यथास्थिति, तीन मास या छह मास से कम की अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश देने का पर्याप्त और विशेष कारण होगी।

[1]**(3)** जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध से सिद्धदोष हुआ कोई व्यक्ति, किसी आवश्यक वस्तु की बाबत किसी आदेश के उल्लंघन के लिए उस उपधारा के अधीन किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष होता है वहाँ वह न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति सिद्धदोष किया जाए उस किसी शास्ति के अतिरिक्त, जो उस धारा के अधीन उस पर अधिरोपित की जाए, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति उस आवश्यक वस्तु में छह मास से अन्यून ऐसी कालावधि तक, जैसी आदेश में न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कोई कारोबार नहीं करेगा।

[2](7)(क) केन्द्रीय सरकार की कुछ रकम भूराजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति (या लोक मांग के रूप में)[3]

(1) जहाँ कोई व्यक्ति जो,

(क) धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण, में किसी रकम का संदाय करने के लिए, या

(ख) किसी रकम को किसी खाते में या उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा या उसके अनुसरण में गठित निधि में जमा करने के लिए दायी है ऐसी सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग का संदाय करने में या उसे जमा करने में व्यतिक्रम करता है वहाँ ऐसी रकम जिसकी बाबत ऐसा व्यतिक्रम किया गया है (चाहे ऐसा आदेश आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया गया था और चाहे ऐसे व्यक्ति का ऐसी रकम को जमा करने का दायित्व ऐसे प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् उत्पन्न हुआ था) सरकार द्वारा, ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से ऐसी रकम के वसूल किए जाने की तारीख तक, प्रतिवर्ष पन्द्रह[4] प्रतिशत की दर से उस पर संगणित साधारण ब्याज सहित, भू-राजस्व की बकाया के रूप में या लोकमांग के रूप में [3]वसूल की जाएगी।

---

1. 1967 के अधिनियम सं. 36 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1984 के अधिनियम सं. 34 की धारा 2 द्वारा (1-9-1984 से) अन्तःस्थापित।
3. 1986 के अधिनियम सं. 42 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1986 के अधिनियम सं. 42 द्वारा संशोधित।

(2) उपधारा (1) के अधीन वसूल की गई रकम को ऐसे आदेश के अनुसार बरता जाएगा जिसके अधीन ऐसी रकम का संदाय या जमा करने का दायित्व उत्पन्न हुआ था।

(3) उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या उसके प्रतिकूल किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण किसी सरकार की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में भू-राजस्व की बकाया के रूप में (या लोकमांग के रूप में)★★ किसी रकम को वसूल करने से प्रतिषिद्ध या अवरुद्ध करने वाला कोई व्यादेश मंजूर नहीं करेगा या कोई आदेश नहीं करेगा।

(4) यदि कोई आदेश जिसके अनुसरण में कोई रकम सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में ★★(या लोकमांग के रूप में) वसूल की गई है, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सरकार की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात अविधिमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो सरकार उसके द्वारा इस प्रकार वसूल की गई रकम का प्रतिदाय उस व्यक्ति को जिससे ऐसी रकम वसूल की गई थी, उससे वसूल किये जाने की तारीख से उस तारीख तक जिसको ऐसा प्रतिदाय किया जाना है, प्रतिवर्ष पन्द्रह★★ प्रतिशत की दर से उस पर संगणित साधारण ब्याज सहित करेगी।

स्पष्टीकरण :

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'सरकार' से वह सरकार अभिप्रेत है जिसने धारा 3 के अधीन संपृक्त आदेश किया था, अथवा जहाँ ऐसा आदेश किसी सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया गया था, वहाँ वह सरकार अभिप्रेत है।

8. प्रयत्न और दुष्प्रेरण

ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जो धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है, यह समझा जाएगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है।

9. मिथ्या कथन

यदि कोई व्यक्ति :

(1) धारा 3 के अधीन किए गए आदेश द्वारा कोई कथन करने या कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित होने पर कोई ऐसा कथन करेगा या ऐसी जानकारी देगा जो किसी सारवान् विशिष्टि में मिथ्या हो और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान हो या

★★ 1986 के अधिनियम सं. 42 द्वारा संशोधित।

विश्वास करने के लिए उसके पास युक्तियुक्त हेतुक हो या जिसके सही होने का उसे विश्वास न हो, या

(2) यथापूर्वोक्त कोई कथन किसी पुस्तक, लेखा, अभिलेख, घोषणा, विवरणी या अन्य दस्तावेज में करेगा जिसे रखने या देने के लिए वह किसी ऐसे आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि [1](पाँच वर्ष) तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

10. कम्पनियों द्वारा अपराध

(1) यदि धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, कंपनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस उल्लंघन के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे उल्लंघन का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए :-

(क) 'कम्पनी' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में 'निदेशक' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

[2]10 (क) अपराधों का संज्ञेय .....[4] होना

[3](दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973) में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन दण्डनीय हर एक अपराध संज्ञेय[4] ......[4] होगा।

1. 1967 के अधिनियम सं. 36 की धारा 8 द्वारा तीन वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1967 के अधिनियम सं 36 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1974 के अधिनियम सं 30 की धारा 7 द्वारा कुछ शब्दों और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1974 के अधिनियम सं 30 की धारा 7 द्वारा 'और जमानतीय' शब्दों का लोप किया गया।

10.[1](ख) न्यायालय की अधिनियम के अधीन सिद्धदोष कम्पनियों के नाम, कारोबार के स्थान आदि प्रकाशित करने की शक्ति

(1) जब कोई कंपनी इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराई जाती है तब उस कंपनी की सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह उस कंपनी का नाम और कारोबार का स्थान, उल्लंघन का स्वरूप, यह बात कि कम्पनी उस प्रकार सिद्धदोष ठहराई गई है और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिन्हें न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, कंपनी के खर्चे पर ऐसे समाचारपत्रों में या ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित कराए, जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील करने की अवधि अपील किए बिना समाप्त न हो गई हो या ऐसी अपील किए जाने पर निपटा न दी गई हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रकाशन के खर्चे कंपनी से इस प्रकार वसूल किए जा सकेंगे मानो वे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने हो।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'कंपनी' का वही अर्थ है जो धारा 10 के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में है।

10. (ग)आपराधिक मन: स्थिति की उपधारणा

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के अभियोजन में जिसमें अभियुक्त की आपराधिक मन:स्थिति होनी अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मनः स्थिति विद्यमान होने की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह साबित करना प्रतिवाद होगा कि उस अभियोजन में अपराध के रूप मे आरोपित कार्य की बाबत उसकी ऐसी मन:स्थिति नहीं थी।

स्पष्टीकरण : इस धारा में 'आपराधिक मन:स्थिति' के अन्तर्गत आशय, मन्तव्य, किसी तथ्य की जानकारी और किसी तथ्य पर विश्वास या विश्वास करने का कारण है।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य तभी साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय को विश्वास है कि उसका विद्यमान होना युक्तियुक्त रूप से संदेह के परे है न कि जब उसका विद्यमान होना केवल अत्यधिक संभावनाओं से सिद्ध होता है।

1. 1974 के अधिनियम सं. 30 की धारा 8 द्वारा अन्त:स्थापित।

11. अपराधों का संज्ञान

कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उस दशा के सिवाय नहीं करेगा जिसमें कि ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 में यथापरिभाषित लोक सेवक है या व्यथित कोई व्यक्ति या कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन, चाहे वह व्यक्ति उस संगठन का सदस्य हो या न हो। ★

★★**स्पष्टीकरण :** इस धारा और धारा12 कक के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन से अर्थ है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन का कम्पनीज एक्ट 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वेच्छिक संगठन।

★★★12. जुर्माने के बारे में विशेष उपबन्ध

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति के बारे में पाँच हजार रूपए से अधिक जुर्माने का दण्डादेश पारित करना किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो विधिसम्मत होगा।

[1]12. (क) संक्षेपतः विचारण की शक्ति

(1) यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिससे [2](किसी आवश्यक वस्तु के जो उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवश्यक वस्तु नहीं है,) उत्पादन, प्रदाय या वितरण अथवा उसमें व्यापार या वाणिज्य और अन्य सुसंगत बातों के हित में यह आवश्यक है कि ऐसी आवश्यक वस्तु के सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन का संक्षेपतः विचारण किया जाए तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे आदेश को इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रयोजनों के लिए विशेष आदेश विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसी हर एक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्ति शीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी :

[3]**परन्तु**

(क) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ के पश्चात निकाली गई हर ऐसी अधिसूचना, जब तक वह पहले ही विखण्डित न कर दी जाए, राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात दो वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त न रह जाएगी ;

---

1. 1964 के अधिनियम सं. 47 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1974 के अधिनियम सं. 30 की धारा 10 द्वारा किसी आवश्यक वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1971 के अधिनियम सं. 66 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया।

★ 1986 के अधिनियम सं. 2 के अनुसार स्थापित।

★★ 1986 के अधिनियम सं. 2 के अनुसार स्थापित।

★★★ 1974 के अधिनियम सं. 3 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हर ऐसी अधिसूचना जब तक वह पहले ही विखण्डित न कर दी जाए, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात दो वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त न रह जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी विशेष आदेश के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले में संक्षिप्त विचारण के रूप में कार्यवाही उस अधिसूचना के विखण्डित किए जाने के या प्रवृत्त न रह जाने के पूर्व प्रारंभ की गई हो तो पूर्वगामी परन्तुक की कोई बात उस मामले पर कोई प्रभाव न डालेगी और इस धारा के उपबन्ध उस मामले को ऐसे लागू बने रहेंगे मानो वह अधिसूचना विखण्डित न की गई हो या उसका प्रवृत्त रहना समाप्त न हुआ हो।

[1](2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उन सभी अपराधों का जो :-

(क) धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के

[2](1)

(2) खाद्य पदार्थ की बाबत जिसके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी है ; या

(3) औषधि की बाबत,

उल्लंघन से सम्बन्धित है ; और

(ख) उस दशा मे जब किसी विशेष आदेश के संबंध में उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवृत्त है ऐसे विशेष आदेश के उल्लंघन से संबंधित है ;

राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपत: विचारण किया जाएगा और जहाँ तक हो सकेगा उक्त संहिता की धारा 262 से लेकर धारा 265 तक के उपबन्ध ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परन्तु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में दोषसिद्धि की दशा में, मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह इतनी अवधि के लिए जो एक वर्ष से अधिक की न हो कारावास का दण्डादेश पारित करे,

परन्तु यह और कि यदि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ में या उसके दौरान, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश पारित करना पड़े या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षेपतः विचारण करना अवांछनीय है तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात, उस भाव का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात किन्हीं भी साक्षियों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी हो पुन: बुलाएगा और मामले को उक्त संहिता द्वारा उपबंधित रीति से सुनने या पुन: सुनने के लिए अग्रसर होगा।

---

1. 1974 के अधिनियम सं. 30 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपधारा - 1, अधिसूचना दिनांक 24.12.2006 द्वारा विलोपित। भारत के राजपत्र में दिनांक 26.12.2006 को पृष्ठ 1-3 पर प्रकाशित।

[1](3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन संक्षेपतः विचारित किसी मामले में सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा उस दशा में कोई अपील नहीं हो सकेगी जिसमें कि मजिस्ट्रेट एक मास से अनधिक के कारावास का [1](या दो हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का) दण्डादेश पारित करता है चाहे ऐसे दण्डादेश के अतिरिक्त सम्पत्ति के समपहरण का कोई आदेश या उक्त संहिता की [1](धारा 452) के अधीन कोई आदेश किया जाता है या नहीं, किन्तु उस दशा में अपील हो सकेगी जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त परिसीमाओं से अधिक[2] (......) का दण्डादेश पारित किया जाता है।

[3](4) उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश के, जो विशेष आदेश नहीं है, उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों का, जो आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ के ठीक पहले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित हैं और जहाँ किसी विशेष आदेश के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है वहां ऐसे विशेष आदेश के उल्लंघन से संबंधित मामलों का, जो ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित हैं, इस धारा के अधीन उस दशा में संक्षेपतः विचारण किया जाएगा, जब यथास्थिति, ऐसे प्रारंभ या उक्त तारीख के पहले किसी साक्षी की परीक्षा नहीं हुई है और यदि वह मामला किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है जो इस धारा के अधीन उसका संक्षेपतः विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह इस प्रकार सक्षम मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।

अधिसूचना

कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 236 (ई) दिनांक 28 मार्च 2002, भारत के राजपत्र असाधारण भाग तत्र खण्ड 3 (1) दिनांक 28 मार्च 2002 पेज -1

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) के खण्ड 12-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चूंकि केन्द्रीय शासन की राय है कि इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बनाये गए फर्टिलाइजर (कण्ट्रोल) आर्डर 1985 का उल्लंघन संक्षेपतः विचारण हो, एतद् द्वारा उक्त आदेश को संक्षेपतः विचारण हेतु उक्त धारा 12-ए के अंतर्गत विशेष आदेश घोषित करती है।

---

1. 1974 के अधिनियम सं. 30 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1974 के अधिनियम सं. 30 की धारा 10 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
3. 1974 के अधिनियम सं. 30 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. जी.एस.आर. 236 (ई) 28.3.2002 द्वारा अंतःस्थापित

[1](12 ख.) सिविल न्यायालयों द्वारा व्यादेशों आदि का दिया जाना

इस अधिनियम के अधीन या तददीन बनाए गए किसी आदेशों के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत से किए गए या किए गए तात्पर्यित किसी कार्य की बाबत उस सरकार या उस लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई सिविल न्यायालय तब तक कोई व्यादेश नहीं देगा या किसी अन्य अनुतोष के लिए आदेश नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यादेश या अनुतोष के लिए आवेदन की सूचना उस सरकार या अधिकारी को न दे दी गई हो

13. आदेशों के बारे में उपधारणा

जहाँ कोई आदेश इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित हुआ तात्पर्यित है वहाँ न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ऐसा आदेश भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अर्थ में उस प्राधिकारी द्वारा वैसे किया गया था।

14. कतिपय मामलों में सबूत का भार

जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किए गए किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है जो उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है वहाँ यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है, उसी पर होगा।

15. अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाई के लिए परित्राण

(1) किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं हो सकेगी जो धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या की जानी आशयित है।

(2) सरकार के खिलाफ कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे नुकसान के लिए नहीं हो सकेगी जो धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित हुआ हो या कारित होना संभाव्य हो।

[2]15. क लोक सेवकों का अभियोजन

जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो लोक सेवक है, किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो धारा 3

1. 1974 के अधिनियम सं. 30 की धारा 11 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1976 के अधिनियम सं. 92 की धारा 8 द्वारा अन्तःस्थापित।

के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में उसके कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्य करने के दौरान उसके द्वारा किया गया अभिकथित है वहाँ कोई न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा, अर्थात :-

(क) उस व्यक्ति की दशा में जो अभिकथित अपराध के किये जाने के समय संघ के कार्यकलापों के संबंध में, यथास्थिति, नियोजित है या था, केन्द्रीय सरकार,

(ख) उस व्यक्ति की दशा में जो अभिकथित अपराध के किए जाने के समय राज्य के कार्यकलापों के संबंध में, यथास्थिति, नियोजित है या था, राज्य सरकार।

16. निरसन और व्यावृत्तियाँ

(1) निम्नलिखित विधियाँ एतद् द्वारा निरसित की जाती है :-

(क) आवश्यक वस्तु अध्यादेश, 1955,

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त कोई अन्य विधि जहां तक कि ऐसी विधि किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करती है या उसका नियंत्रण प्राधिकृत करती है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, एतद्द्वारा निरसित और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया गया समझा गया कोई आदेश जहां तक कि ऐसा आदेश इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है, इस अधिनियम के अधीन किया गया समझा जाएगा और प्रवृत्त रहेगा, तथा ऐसी कोई नियुक्ति, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र अथवा निदेश जो ऐसे किसी आदेश के अधीन की गई हो, अनुदत्त हो, दिया गया हो या जारी किया गया हो और ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, तब तक प्रवृत्त रहेगी या रहेगा जब तक कि उसे ऐसी किसी नियुक्ति, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र अथवा निदेश से अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता जो इस अधिनियम के अधीन की गई, अनुदत्त, दिया गया या जारी किया गया हो।

(3) उपधारा (2) के उपबन्ध साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे जो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश या अन्य विधि के निरसन को भी लागू होंगे मानो ऐसा अध्यादेश या अन्य विधि कोई अधिनियमिति रहे हों।

अनुसूची [1]
(धारा 2क देखिए)

आवश्यक वस्तुएँ

(1) औषधि।

स्पष्टीकरण – इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए "औषधि" का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 के खंड (ख) में है;

(2) उर्वरक, चाहे वह अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित हो;

(3) खाद्य पदार्थ जिनके अंतर्गत खाद्य, तिलहन और तेल भी है;

(4) पूर्णतया कपास से बने अट्टू सूत;

(5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद;

(6) कच्चा जूट और जूट टैक्सटाइल;

(7) (i) खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा वनस्पतियों के बीज;

(ii) पशु चारे के बीज;

(iii) जूट बीज; और

(iv) कपास बीज। [2]

1. 2006 के अधिनियम सं. 54 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित। दिनांक 12.02.2007 से प्रभावशील।
2. एस.ओ.नं. 2988 (अ) दिनांक 20.12.2010 द्वारा अंतःस्थापित।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 597 (अ).-केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि कोई व्यक्ति, स्थापन या औद्योगिक इकाई, जो प्रति मास दस क्विंटल से अधिक चीनी का उत्पादन या खपत या उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में किसी भी रीति में उपयोग या खपत करती है, किसी भी समय पंद्रह दिन के ऐसे उपयोग या खपत से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखेगी :

परंतु यह कि इस आदेश की कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा किसी स्थानीय निकाय से संबंधित संस्था अथवा रजिस्ट्रीकृत पूर्त न्यास द्वारा चलाए जा रहे संस्था, अस्पताल, कामकाजी पुरुष और महिला हॉस्टल और किसी शैक्षिक संस्था के छात्रावास पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, -

(क) किसी व्यक्ति, स्थापन या औद्योगिक इकाई द्वारा चीनी का औसत उपयोग या खपत दस क्विंटल से अधिक है या नहीं, इस प्रश्न का अवधारण किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऐसे व्यक्ति, स्थापन या इकाई के पिछले बारह मास में चीनी के मासिक उपयोग या खपत पर विचार करने के पश्चात् जारी किए गए प्रमाण-पत्र द्वारा किया जाएगा;

(ख) चार्टर्ड एकाउंटेंट का अर्थ वही है जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है।

2. यह आदेश राजपत्र में उसके प्रकाशन के इक्कीस दिन के पश्चात् प्रवृत्त होगा और छह मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश
नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 640 (अ).-केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (I) में दिनांक 22 अगस्त, 2009 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597 (अ) द्वारा अधिसूचित आदेश में संशोधन करती है, अर्थात् :

(i) उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

'2. यह आदेश राजपत्र में उसके प्रकाशन के अट्ठाईस दिन के पश्चात् अर्थात् 19.9.2009 को प्रवृत्त होगा और छह मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।'

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 60 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 2010. भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 (1) दिनांक 5.2.2010 पृष्ठ 1 पर प्रकाशित।

केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2009 (इसमें इसके पश्चात् इसे मूल अधिसूचना कहा जाएगा) जारी की थी जो उसके प्रकाशन से 21 दिन के पश्चात् प्रवृत्त हुई थी, जैसा कि उसके पैरा 2 में निर्दिष्ट है;

और अतः, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 640 (अ), तारीख 7 सितम्बर, 2009 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मूल अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में इस आशय का संशोधन किया था कि मूल अधिसूचना 19 सितम्बर, 2009 से 28 दिन के पश्चात् प्रवृत्त होगी :

और अतः, केन्द्रीय सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन हो गया है कि चीनी का स्टाक रखने की अवधि पन्द्रह दिनों से घटाकर दस दिन कर दी जाए और मूल अधिसूचना के प्रचालन की अवधि 20 फरवरी, 2010 से छः मास के लिए बढ़ा दी जाए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल अधिसूचना में और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

(क) प्रथम पैराग्राफ में शब्द ''पंद्रह दिन'' के स्थान पर ''दस दिन'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात् :

''2. यह आदेश 20 फरवरी, 2010 को प्रवृत्त होगा और एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।''

●●●

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल दिनांक 21 दिसम्बर 1998*

क्र.एफ 4-8-97 उन्तीस-1- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 12-क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2-82 ब, दिनांक 13 जनवरी, 1998 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों को, उक्त सारिणी के कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए 1 सितम्बर, 1997 से गठित करती है :-

सारणी

क्र. (1)	विशेष न्यायालय (2)	क्षेत्र (3)
1.	विशेष न्यायालय, बालाघाट	राजस्व जिला, बालाघाट
2.	विशेष न्यायालय, बस्तर, (जगदलपुर में)	राजस्व जिला, बस्तर, कांकेर, दंतेवाडा
3.	विशेष न्यायालय, बैतूल	राजस्व जिला, बैतूल
4.	विशेष न्यायालय, भिण्ड	राजस्व जिला, भिण्ड
5.	विशेष न्यायालय, भोपाल	राजस्व जिला, भोपाल
6.	विशेष न्यायालय, बिलासपुर	राजस्व जिला, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा
7.	विशेष न्यायालय, छिन्दवाडा	राजस्व जिला, छिन्दवाडा
8.	विशेष न्यायालय, छतरपुर,	राजस्व जिला, छतरपुर
9.	विशेष न्यायालय, दमोह	राजस्व जिला, दमोह
10.	विशेष न्यायालय, दतिया	राजस्व जिला, दतिया एवं ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील.
11.	विशेष न्यायालय, देवास,	राजस्व जिला, देवास
12.	विशेष न्यायालय, धार	राजस्व जिला, धार
13.	विशेष न्यायालय, दुर्ग	-"- दुर्ग
14.	-"-, पूर्व निमाड़ (खण्डवा)	-"-, पूर्व निमाड खण्डवा
15.	-"-, गुना	-"-, गुना
16.	-"-, ग्वालियर	राजस्व जिला ग्वालियर (भांडेर तहसील को अपवर्जित करते हुए)
17.	-"-, होशंगाबाद	-"-, होशंगाबाद, हरदा
18.	-"-, इन्दौर	-"-, इंदौर

* म.प्र. राजपत्र के भाग - 1 में दिनांक 1.1.99 को पृष्ठ 9-10 पर प्रकाशित

क्र. (1)	विशेष न्यायालय (2)	क्षेत्र (3)
19.	-''-, जबलपुर	-''-, जबलपुर
20.	-''-, झाबुआ	-''-, झाबुआ
21.	-''-, मंदसौर	-''-, मंदसौर, नीमच
22.	-''-, विशेष न्यायालय मंडला	राजस्व जिला मंडला, डिंडोरी
23.	-''-, मुरैना	-''-, मुरैना, श्योपुर
24.	-''-, नरसिंहपुर	-''-, नरसिंहपुर
25.	-''-, पन्ना	-''-, पन्ना
26.	-''-, रायगढ	-''-, रायगढ, जसपुर नगर
27.	-''-, रायपुर	-''-, रायपुर, धमतरी, महासमुंद.
28.	-''-, रायसेन	-''-, रायसेन
29.	-''-, राजगढ	-''-, सारंगपुर तह. को अपवर्जित करते हुए राजस्व जिला राजगढ
30.	-''-, राजनांदगांव	-''-, राजनांदगांव, कवर्धा
31.	-''-, रतलाम	-''-, रतलाम
32.	-''-, रीवा	-''-, रीवा
33.	-''-, सागर	-''-, सागर
34.	-''-, सतना	-''-, सतना
35.	-''-, सीहोर	-''-, सीहोर
36.	-''-, सिवनी	-''-, सिवनी
37.	-''-, शहडोल	-''-, राजस्व जिला शहडोल, उमरिया, सरगुजा, राजस्व जिले की भरतपुर (जनकपुर) तह. को सम्मिलित करते हुए.
38.	-''-, शाजापुर	राजस्व जिला राजगढ की तह. सारंगपुर को सम्मिलित करते हुए, राजस्व जिला शाजापुर.
39.	-''-, शिवपुरी	-''-, शिवपुरी
40.	-''-, सीधी	-''-, सीधी
41.	-''-, सरगुजा (अंबिकापुर में)	-''-, भरतपुर (जनकपुर) तह. को अपवर्जित करते हुए राजस्व जिला सरगुजा.
42.	-''-, टीकमगढ	-''-, टीकमगढ
43.	-''-, उज्जैन	-''-, उज्जैन
44.	-''-, विदिशा	-''-, विदिशा
45.	-''-, मंडलेश्वर	-''-, पश्चिमी निमाड़ (खरगोन) बडवानी

अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 21 दिसम्बर 1998*

क्र. एफ. 4-8-97 उन्तीस - 1 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 6-ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिला सेशन न्यायाधीशों को उक्त सारणी के कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सेशन खण्डों , स्थानीय क्षेत्रों के लिए न्यायिक प्राधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात :-

सारणी

अनु. क्र. (1)	जिले का जिला एवं सेशन न्यायाधीश (2)	सेशन खण्ड/स्थानीय क्षेत्र (3)
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	बालाघाट
2.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, (बस्तर जगदलपुर में)	बस्तर कांकेर, दंतेवाडा
3.	-''-, बैतूल	बैतूल
4.	-''-, भिण्ड	भिण्ड
5.	-''-, भोपाल	भोपाल
6.	-''-, बिलासपुर	बिलासपुर
7.	-''-, छिन्दवाडा	छिन्दवाडा
8.	-''-, छतरपुर	छतरपुर
9.	-''-, दमोह	दमोह
10.	-''-, दतिया	ग्वालियर, जिला की भांडेर, तहसील को सम्मिलित करते हुए दतिया.
11.	-''-, देवास	देवास
12.	-''-, धार	धार
13.	-''-, दुर्ग	दुर्ग
14.	-''-, पूर्व निमाड़ (खण्डवा)	पूर्व निमाड़ (खण्डवा)
15.	-''-, गुना	गुना
16.	-''-, ग्वालियर	ग्वालियर (भांडेर तह. को अपवर्जित करते हुए).

* म.प्र. राजपत्र के भाग - 1 में पृष्ठ 11 पर दिनांक 1.1.99 को प्रकाशित

अनु. क्र. (1)	जिले का जिला एवं सेशन न्यायाधीश (2)	सेशन खण्ड/स्थानीय क्षेत्र (3)
17.	-''-, होशंगाबाद	होशंगाबाद
18.	-''-, इन्दौर	इन्दौर
19.	-''-, जबलपुर	जबलपुर
20.	-''-, झाबुआ	झाबुआ
21.	-''-, मंदसौर	मंदसौर
22.	-''-, मंडला	मंडला
23.	-''-, मुरैना	मुरैना
24.	-''-, नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
25.	-''-, पन्ना	पन्ना
26.	-''-, रायगढ	रायगढ
27.	-''-, रायपुर	रायपुर
28.	-''-, रायसेन	रायसेन
29.	-''-, राजगढ	राजगढ (सारंगपुर तह. को अपवर्जित करते हुए).
30.	-''-, राजनांदगांव	राजनांदगांव
31.	-''-, रतलाम	रतलाम
32.	-''-, रीवा	रीवा
33.	-''-, सागर	सागर
34.	-''-, सतना	सतना
35.	-''-, सीहोर	सीहोर
36.	-''-, सिवनी	सिवनी
38.	-''-, शाजापुर	शाजापुर
39.	-''-, शिवपुरी	शिवपुरी
40.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीधी	सीधी
41.	-''-, सरगुजा	सरगुजा भरतपुर (जनकपुर) तह. को छोडकर
42.	-''-, टीकमगढ़	टीकमगढ़
43.	-''-, उज्जैन	उज्जैन
44.	-''-, विदिशा	विदिशा
45.	-''-, मंड्लेश्वर	पश्चिमी निमाड़ (खरगोन) बडवानी.

अधिसूचना
जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी, 1999*

क्र. 602 - तीन - 6-7-64 (भाग-एक-ए) - आवश्यक वस्तु अधिनियम, सन 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 12 (क) की उपधारा (2) यथासंशोधित आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा, किये गये अनुरोध पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक-एफ -4-8-97-29-1 दिनांक 21 दिसम्बर 1998 द्वारा निर्मित विशेष न्यायालयों में उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ए-1105-तीन-6-7-64 भाग-एक दिनांक 10 फरवरी 1983 को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों में कॉलम नं. (2) में उल्लेखित सत्र न्यायाधीशों को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :-

अनुसूची

क्रमांक (1)	अधिकारी का पद नाम विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में (2)	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई (3)
1.	सत्र न्यायाधीश बालाघाट	राजस्व जिला बालाघाट
2.	-''-, बस्तर (जगदलपुर)	-''-, बस्तर, कांकेर, दन्तेवाडा
3.	-''-, बैतूल	-''-, बैतूल
4.	-''-, भिण्ड	-''-, भिण्ड
5.	-''-, भोपाल	-''-, भोपाल
6.	-''-, बिलासपुर	-''-, बिलासपुर
7.	-''-, छिन्दवाडा	-''-, छिन्दवाडा
8.	-''-, छतरपुर	-''-, छतरपुर
9.	-''-, दमोह	-''-, दमोह
10.	-''-, दतिया	-''-, दतिया एवं ग्वालियर जिले का भांडेर तहसील
11.	-''-, देवास	-''-, देवास
12.	-''-, धार	-''-, धार
13.	-''-, पूर्व निमाड़ (खण्डवा)	-''-, पूर्व निमाड़ (खण्डवा)
14.	-''-, दुर्ग	-''-, दुर्ग
15.	-''-, ग्वालियर	-''-, ग्वालियर, भांडेर तहसील को अपवर्जित करते हुए
16.	-''-, गुना	-''-, गुना
17.	-''-, होशंगाबाद	-''-, होशंगाबाद, हरदा

* म.प्र. राजपत्र के भाग - 1 में दिनांक 19.2.99 को पृष्ठ 381-382 पर प्रकाशित

क्रमांक	अधिकारी का पद नाम विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई
(1)	(2)	(3)
18.	-"-, इन्दौर	-"-, इन्दौर
19.	-"-, जबलपुर	-"-, जबलपुर, कटनी
20.	-"-, झाबुआ	-"-, झाबुआ
21.	-"-, मण्डला	-"-, मण्डला, डिण्डोरी
22.	-"-, मंदसौर	-"-, मंदसौर, नीमच
23.	-"-, मुरैना	-"-, मुरैना, श्योपुर
24.	-"-, नरसिंहपुर	-"-, नरसिंहपुर
25.	-"-, पन्ना	-"-, पन्ना
26.	-"-, रायगढ़	-"-, रायगढ़, जशपुरनगर
27.	-"-, रायपुर	-"-, रायपुर, धमतरी, महासमुन्द
28.	-"-, रायसेन	-"-, रायसेन
29.	-"-, राजगढ़	-"-, राजगढ़, सारंगपुर तहसील को अपवर्जित करते हुए
30.	सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव	राजस्व जिला राजनांदगांव, कवर्धा
31.	-"-, रतलाम	-"-, रतलाम
32.	-"-, रीवा	-"-, रीवा
33.	-"-, सागर	-"-, सागर
34.	-"-, सतना	-"-, सतना
35.	-"-, सिहोर	-"-, सिहोर
36.	-"-, सिवनी	-"-, सिवनी
37.	-"-, शहडोल	-"-, शहडोल, उमरिया, सरगुजा राजस्व जिले के भरतपुर (जनकपुर) तहसील को सम्मिलित करते हुए.
38.	-"-, शाजापुर	-"-, शाजापुर, राजस्व जिला राजगढ़ की तहसील सारंगपुर को सम्मिलित करते हुए.
39.	-"-, शिवपुरी	-"-, शिवपुरी
40.	-"-, सीधी	-"-, सीधी
41.	-"-, सरगुजा (अंबिकापुर)	-"-, सरगुजा, भरतपुर (जनकपुर) को अपवर्जित करते हुए.
42.	-"-, टीकमगढ	-"-, टीकमगढ
43.	-"-, उज्जैन	-"-, उज्जैन
44.	-"-, विदिशा	-"-, विदिशा
45.	-"-, मण्डलेश्वर	-"-, पश्चिमी निमाड़ मण्डलेश्वर, खरगौन, बड़वानी.

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981*

(1981 का अधिनियम संख्यांक 18)
26 सितम्बर, 1981

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी तथा उनमें मुनाफाखोरी करने वाले व्यक्तियों से और कीमतों में दुर्वुद्धि से अधिक प्रभावी तौर पर निपटने के लिए और उनसे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में अस्थायी अवधि के लिए संशोधनों के रूप में कुछ विशेष उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

आवश्यक वस्तुओं की उचित कीमतों पर उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी तथा उनमें मुनाफाखोरी पर प्रतिबंध आवश्यक है,

और ऐसे समाज विरोधी क्रियाकलाप करने वाले व्यक्तियों से और कीमतों में दुर्वृद्धि से अधिक प्रभावी तौर पर निपटने के लिए यह आवश्यक है कि (पंद्रह)** वर्ष की अवधि के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन के रूप में विशेष उपबन्ध किए जाएं,

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और अवधि

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से (पंद्रह)** वर्ष के अवसान पर यह उन बातों के संबंध में प्रभावी रहने के सिवाय प्रभावहीन हो जाएगा, जो इस अधिनियम के ऐसे प्रवर्तन में न रह जाने के पूर्व की गई या करने से लोप की गई हों तथा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 इस अधिनियम के ऐसे प्रवर्तन में न रह जाने पर ऐसे लागू होंगी मानो यह तब किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित किया गया हो।

---

* अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप और मिजोरम संघ राज्यक्षेत्रों को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 1-9-1982 को प्रवृत्त देखिए सा.का.नि. 553 (अ), तारीख 31 अगस्त, 1982, भारत का राजपत्र, असाधारण 1982, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (1) क्रम सं. 261।

** अत्यावश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश 1992 द्वारा 10 के स्थान पर 'पंद्रह' शब्द रखा गया जो कि राजपत्र में दिनांक 28.8.92 को प्रकाशित हुआ।

(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति और इस अधिनियम के प्रवर्तित बने रहने के प्रति निर्देशों का प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में क्रमशः उस राज्य में इस अधिनियम के प्रवर्तित होने और उस राज्य में इस अधिनियम के प्रवर्तित बने रहने के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जायेगा।

2. 1955 के अधिनियम 10 का अस्थायी अवधि के लिए कुछ विशेष उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होना

इस अधिनियम के प्रवर्तन के दौरान, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 3 से धारा 11 तक में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा :

परन्तु धारा 3 से धारा 11 तक में विनिर्दिष्ट संशोधन मूल अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किए गए किसी अपराध को या उसके सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे और मूल अधिनियम के उपबन्ध ऐसे अपराध को और उसके सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो ये संशोधन नहीं किए गए थे।

3. धारा 2 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 2 में, -

(क) खण्ड (i क) को खण्ड (ii क) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (ii क) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

''(i क) संहिता से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है,'' और

(ख) खण्ड (ड.) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,

''(च) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में है।''

4. धारा 6 क का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 6क में उपधारा (2) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात :-

''परन्तु किसी ऐसी आवश्यक वस्तु की दशा में जिसकी फुटकर विक्रय कीमत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियत की गई है, कलेक्टर, उसके साम्यापूर्ण वितरण और उसकी उचित कीमत पर उपलभ्यता के लिए, उसका उचित दर की दुकानों के माध्यम से इस प्रकार नियत की गई कीमत पर विक्रय का आदेश दे सकेगा।''

5. धारा 6 ग का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 6ग में, -

(क) उपधारा (1) में, ''किसी ऐसे न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो और वह न्यायिक प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गइ है, पुष्ट, उपांतरित या बातिल करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे।'' शब्दों के स्थान पर ''संबंधित राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और वह राज्य सरकार, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित या बातिल करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा वह ठीक समझे।'' शब्द रखे जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में, ''ऐसे न्यायिक प्राधिकारी द्वारा'' शब्दों के स्थान पर ''राज्य सरकार द्वारा'' शब्द रखे जायेंगे।

6. धारा 6 ङ का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 6ङ में, -

(क) ''धारा 6ग के अधीन नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी'' शब्दों , अंक और अक्षर के स्थान पर ''धारा 6ग के अधीन संबंद्ध राज्य सरकार'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे,

(ख) ''किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी शब्द रखे जाएंगे।''

7. धारा 7 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 7 में, -

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के परन्तुक का लोप किया जाएगा,

(ख) उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा,

(ग) उपधारा (2क) के परन्तुक का लोप किया जाएगा,

(घ) उपधारा (2ख) का लोप किया जाएगा।

8. धारा 8 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 8 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा अर्थात :-

''परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने धारा 2 के खण्ड (iv क) के उपखंड (क) या उपखण्ड (v)

में वर्णित प्रकृति की किसी आवश्यक वस्तु को, अपने उपयोग के लिए या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के उपयोग के लिए या अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए, न कि ऐसी किसी वस्तु का कारबार या व्यापार करने के प्रयोजन से, उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी आदेश का उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण किया है, वहां न्यायालय धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, निर्णय में वर्णित किए जाने वाले कारणों से, केवल जुर्माने का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।''

9. धारा 10क का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 10क में ''संज्ञेय'' शब्द के पश्चात और ''अजमानतीय'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

10. धारा 12 का लोप किया जाना

मूल अधिनियम की धारा 12 का लोप किया जाएगा।

11. धारा 12 क के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना

12 क (1) विशेष न्यायालयों का गठन

राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उतने विशेष न्यायालयों का जितने आवश्यक हों और ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए गठन कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) विशेष न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा जिसे राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :

इस उपधारा में ''नियुक्ति'' शब्द का वही अर्थ होगा, जो उसका संहिता की धारा 9 के स्पष्टीकरण में है।

(3) कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तभी अर्हित होगा जब, -

(क) वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित हो, या

(ख) वह कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश रहा हो।

12 कक. विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध

(1) संहिता में किसी भी बात के होते हुए भी, -

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे जो उस क्षेत्र के लिए गठित किया गया है जिसमें अपराध किया गया है या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं वहां उनमें से उस एक न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किया जाए,

(ख) जहां किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का अभियोग या सन्देह है, संहिता की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यदि ऐसा मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए और यदि ऐसा मजिस्ट्रेट-कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है तो कुल मिलाकर सात दिन की अवधि के लिए, ऐसे व्यक्ति के, ऐसी अभिरक्षा में जिसे वह ठीक समझता है, निरोध को प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु जहां ऐसा मजिस्ट्रेट -

(1) जब ऐसा व्यक्ति उसके पास पूर्वोक्त रूप से भेजा गया है, या

(2) अपने द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि के अवसान पर या उससे पूर्व किसी समय,

यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति का निरोध अनावश्यक है, वहां यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामला धारा 8 के परन्तुक के अधीन आता है तो, वह यह आदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि उसका ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह आदेश देगा कि ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय को भेजा जाए,

(ग) विशेष न्यायालय, इस उपधारा के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ख) के अधीन उसके पास भेजे गए व्यक्ति के सम्बन्ध में, उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जिसका प्रयोग किसी मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट ऐसे मामले में किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे संहिता की धारा 167 के अधीन उसके पास भेजा गया हो, उस धारा के अधीन कर सकता है,

(घ) उपर्युक्त के सिवाय, किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का अभियोग या सन्देह है, किसी विशेष न्यायालय या उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा -

परन्तु विशेष न्यायालय -

(1) इस प्रकार छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अभियोजन पक्ष

को अवसर दिए बिना ऐसे व्यक्ति को तभी जमानत पर छोड़ेगा जब विशेष न्यायालय की, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह राय हो कि ऐसा अवसर देना साध्य नहीं है, और

(2) जहां अभियोजन पक्ष आवेदन का विरोध करता है, वहां, यदि विशेष न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि वह सम्बन्धित अपराधों का दोषी रहा है, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोडेगा :

परन्तु यह और कि विशेष न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति जो सोलह वर्ष से कम आयु का है या स्त्री है या रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है या विशेष न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से, जो लेखबद्ध किया जाएगा, ऐसा करना न्यायपूर्ण और उचित है, जमानत पर छोड़ दिया जाएगा,

(ङ) विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस की रिपोर्ट का परिशीलन करने पर, अभियुक्त को विचारण के लिए उसे सुपुर्द किए बिना, उस अपराध का संज्ञान कर सकेगा,

(च) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का संक्षेपत: विचारण किया जाएगा और संहिता की धारा 262 से धारा 265 तक (दोनों सहित) के उपबन्ध ऐसे विचारण को यथाशक्ति लागू होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन संक्षेपत: विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में, विशेष न्यायालय द्वारा दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश पारित किया जाना विधिपूर्ण होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसका अभियुक्त पर संहिता के अधीन एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है :

परन्तु यह तब जबकि ऐसा अन्य अपराध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संक्षेपत: विचारणीय है :

परन्तु यह और कि ऐसे विचारण में ऐसे अन्य अपराध के लिए किसी दोषसिद्धि की दशा में, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश पारित किया जाना विधिपूर्ण नहीं होगा जो ऐसी अन्य विधि के अधीन संक्षेपत: विचारण में दोषसिद्धि के लिए उपबन्धित अवधि से अधिक है।

(3) विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संबद्ध या संसर्गित होने

का संदेह है, ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है कि वह अपराध के और उस अपराध को करने से संबद्ध अन्य प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में चाहे वह उसके करने में मुख्य कर्ता रहा हो या दुष्प्रेरक, अपने निजी ज्ञान से सभी परिस्थितियों को पूर्ण और सही रूप से प्रकट करे और इस प्रकार प्रदान की गई क्षमा संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए, उसकी धारा 307 के अधीन प्रदान की गई समझी जाएगी।

(4) इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि उससे संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है और उच्च न्यायालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग, जिनमें उस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति भी सम्मिलित है, इस प्रकार कर सकेगा मानो उस धारा में "मजिस्ट्रेट" के प्रति निर्देश के अन्तर्गत धारा 12क के अधीन गठित "विशेष न्यायालय" के प्रति निर्देश भी आता है।

12कख. अपील और पुनरीक्षण

उच्च न्यायालय, संहिता के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग जहां तक वे लागू होते हैं, उसी प्रकार कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सेशन न्यायालय है।

12 कग. संहिता का विशेष न्यायालय के समक्ष वाली कार्यवाहियों को लागू होना

इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय संहिता के उपबन्ध (जिसमें जमानत और बन्धपत्र के बारे में उपबन्ध सम्मिलित हैं) विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा।